

न्यायालय डिवीजनल कमिश्नर, जोधपुर
अध्यक्षता - ललित कुमार गुप्ता, आई.ए.एस.

गुण्डा नियंत्रण अपील संख्या 06/2016

अपीलान्टस
सोहनलाल पुत्र माधाराम, जाति
विश्वनोई, निवासी रोहिला पूर्व,
पुलिस थाना, धोरीमना, जिला
बाडमेर।

बनाम

रेस्पोंडेन्टस

1. राजस्थान सरकार जरिये अति
जिला मजिस्ट्रेट, बाडमेर।

गुण्डा नियंत्रण अपील अन्तर्गत धारा 06 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975
आदेश अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाडमेर द्वारा फौजदारी मुकदमा संख्या
06/2015 में दिनांक 8.11.2016 को पारित किया गया।

उपस्थिति:-

- 1- श्री लादूराम विश्वनोई, अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित।
- 2- श्री ओम प्रकाश चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोंडेन्ट की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक:- 21.8.2018

प्रस्तुत गुण्डा नियंत्रण अपील प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार से हैं कि अपीलान्ट के विरुद्धा 5 प्रकरण राजस्थान आबकारी अधिनियम एवं 1 प्रकरण अनु. जाति/जनजाति एक्ट मे दर्ज होकर, चाला न्यायालय मे पेश किये गये जिसमे न्यायालय द्वारा निम्न 3 प्रकरणों मे दोषी पाया गया एवं सजा हुई, 1 प्रकरण मे दोष मुक्त किया गया एवं 2 प्रकरण सम्बन्धित न्यायालय मे विचाराधीन है। 03 प्रकरण जिसमे सजा हुई, का विवरण निम्न प्रकार है

1. मुकदमा संख्या 134/10.9.2008 अन्तर्गत धारा 19/54 आबकारी अधिनियम चालान नम्बर 92/25.01.2018 निर्णय दिनांक 17.12.2008 सजा
2. मुकदमा संख्या 91/10.6.2012 अन्तर्गत धारा 19/54 आबकारी अधिनियम चालान नम्बर 91/30.6.2012 निर्णय दिनांक 6.2.2013
3. मुकदमा संख्या 88/10.4.2013 अन्तर्गत धारा 19/54 आबकारी अधिनियम चालान नम्बर 53/30.4.2013 निर्णय दिनांक 24.2.2014

गुण्डा नियंत्रण अपील/6/2016/ सोहनलाल बनाम राजस्थान सरकार

उक्त दर्ज प्रकरणों में सजा दिये जाने पर अपीलान्त को अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाडमेर ने अपने आदेश दिनांक 8.11.2016 के द्वारा राज0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ख) के उपखण्ड (3) राजस्थान गुण्डा अधिनियम 1975 के तहत गुण्डा घोषित करते हुए अपीलान्त को 1 माह की अवधि के लिये बाडमेर जिला से निष्कासित कर पुलिस थाना जालोर के नियन्त्रण में रखे जाने के आदेश दिये गये। उक्त अपीलाधीन आदेश से व्यथित हो कर अपीलान्त के द्वारा गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के तहत यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की गई है।

हमने उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस सुनी। दौरान सुनवाई अपीलान्त के अधिवक्ता ने निवेदन कि अपीलान्त पर पुलिस विभाग के द्वारा यह आरोप आरोपित किया है कि अपीलान्त के विरुद्ध 3 प्रकरणों में आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज होकर संबंधित न्यायालय द्वारा सिद्धदोष ठहराये जाने के कारण अपीलान्त आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है जो समाज के विरुद्ध है और जिससे लोक शान्ति भंग होती है, अतः उसके विरुद्ध कार्यवाही की जावे जिस पर श्रीमान् अपर जिला मजिस्ट्रेट बाडमेर द्वारा अपीलान्त को गुण्डा घोषित करते हुए उसे पुलिस थाना कोतवाली बाडमेर से बाहर निष्कासित करने के आदेश दिये गये हैं, जबकि अपीलान्त के विरुद्ध 2013 के पश्चात किसी भी थाने में कोई भी आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है। इसके बावजूद बिना किसी विधिक आधारों के पारित आदेश गलत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

अपीलान्त के अधिवक्ता का कथन है कि श्रीमान् अपर जिला मजिस्ट्रेट बाडमेर के द्वारा अपीलान्त के प्रकरण में पारित किया गया अपीलाधीन आदेश विधि एवं तथ्यों के आधार पर मान्य नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है क्योंकि उक्त आदेश के छः माह पूर्व तक अपीलान्त के विरुद्ध कोई मुकदमा न तो दर्ज हुआ है और न ही किसी प्रकार की सजा हुई है जिसके आधार पर उन्हें गुण्डा घोषित किया जा सके।

अपीलान्त के आचरण के सम्बन्ध में सरपंच के द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें अपीलार्थी के आचरण एवं अच्छे चाल-चलन होने का प्रमाण दिया है, जो वर्तमान में अपीलान्त के अच्छे आचरण की पुष्टि करता है। अतः अपीलान्त के प्रकरण में उपरोक्त तथ्यों को तन्हा पारिवारिक स्थिति को एवं वर्तमान समय में उसके द्वारा मजदूरी कार्य कर जीवन यापन करने के प्रयास को देखते हुए अपीलान्त के प्रति सहानुभूति रखते हुए अपीलाधीन आदेश को निरस्त किया जावे एवं अपीलान्त की अपील को स्वीकार किया जावे।

राज्य पक्ष रेस्पोंडेंट की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने लिखित प्रत्युत्तर पेश करते हुए यह निवेदन किया कि अपीलान्त के विरुद्ध विभिन्न समय में आबकारी अधिनियम के तहत

जो प्रकरण तत्समय में दर्ज हुए तथा उन मामलों में माननीय न्यायालय के द्वारा सजा भी पारित की गई है। अपीलान्त पर लगाये गये आरोपों से सिद्ध है कि अपीलान्त एक आदतन अपराधी है जिसके विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत अपराध किये हैं, अतः अपीलान्त के उक्त प्रकार के समाज विरोधी कृत्यों को देखते हुए उसके विरुद्ध पारित किये गये अपीलाधीन आदेश को यथावत रखा जावे।

हमने उपस्थित दोनों पक्षों के योग्य अधिवक्ताओं द्वारा किये गये अभिकथनों पर मनन किया एवं प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया। जिससे यह पाया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्त को राज० गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ख) के बिन्दू संख्या 3 का उल्लंघन किया जाना माना है। जबकि उक्त आपराधिक प्रकरण अपीलान्त के द्वारा 5 वर्ष से पूर्व कारित किये गये हैं। राजस्थान गुण्डा अधिनियम 1975— “गुण्डा” परिभाषा— धारा 3 के तहत कार्यवाही के तुरन्त पूर्व अपीलार्थी ने धारा 2(ख) के तहत छः माह के भीतर कोई अपराध नहीं किया। प्रमाणिक तिथि वह होती है जब धारा 3 के तहत नोटिस जारी किये जाते हैं। ऐसे मामलों में की गयी कार्यवाही पूर्णरूपेण अधिकारिता विहीन है और विधि की दृष्टि में शून्य है।

वर्तमान प्रकरण में कोई भी आपराधिक प्रकरण धारा 3 के तहत कार्यवाही प्रारम्भ होने की तिथि से पूर्व छः माह की अवधि के भीतर नहीं आते हैं। अधीनस्थ न्यायालय को चाहिए था कि वे अपीलान्त के वर्तमान चरित्र एवं गतिविधियों की रिपोर्ट प्राप्त कर उपरोक्त उल्लेखित राजस्थान गुण्डा अधिनियम 1975 में दिये गये प्रावधानों को मध्यनजर रखते हुए आदेश पारित करना चाहिए था, जिसका अभाव अपीलाधीन आदेश में पाया गया है।

अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणाम स्वरूप अपीलान्त की अपील आंशिक रूप स्वीकार की जाती है तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 8.11.2016निरस्त कर प्रकरण अपर जिला मजिस्ट्रेट बाडमेर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उपरोक्त विवेचन (Observation) के अनुसार कार्यवाही कर पुनः आदेश प्रदान करें। निर्णय आज दिनांक 21.8.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।